

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बड़जलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 09/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बून्दी
दायरा दिनांक : 07.02.2025
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सत्यनारायण पुत्र रामरतन नाथ निवासी बीजासन माताजी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपवन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक (प्रथम) रणथम्भोर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर हाल इंचार्ज उपवन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक (कौर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी
.....रस्पोडेन्ट


उपस्थित : श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री भंवरलाल गुर्जर, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 18.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 32/अपील/2023 बउनवान सत्यनारायण बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।


1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम) रणथम्भोर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ (वन्यजीव) की भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 अन्तर्गत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी सत्यनारायण पुत्र रामरतन नाथ को आराजी वन खण्ड माताजीवाला मौजा झीड़ा खसरा सं0 426 नया (223 पुराना) 24 मीटर × 12 मीटर (288 वर्गमीटर) पर अतिक्रमण किये जाने पर वन भूमि से बेदखल किया जाकर 2880/- रूपये शास्ति आरोपित किये जाने का निर्णय दिनांक 28.06.2022 पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी के समक्ष भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वन भूमि निवास बनाकर अतिक्रमण किये जाने से अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 26.07.2024 से खारिज की गई।


सत्यनारायण पुत्र रामरतन नाथ
कोटा संभाग, कोटा

2. उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किया गया है जबकि वास्तव में इन्द्रगढ़ के झीडा गांव में बिजासन माताजी का करीब 3000 वर्ष पूर्व पहाड़ी पर मन्दिर स्थित है, जो आस-पास के लोगों के लिए प्रमुख आस्था का स्थान है। चूंकि माताजी की तत्समय मूर्ति स्थापना के बाद उनकी सेवा पूजा करने का काम मूल पुरुष महन्त के बाद परम्परा के अनुसार परिवारजन करते चले आ रहे हैं और मूल महन्त के परिवारजन ही अपीलार्थी है, इस प्रकार अपीलार्थी विवादित स्थान पर अर्सा कदीम से काबिज है, जिन्हें किसी भी रूप से कानून सम्मत मान्यता के अनुसार अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। क्योंकि अपीलार्थी वन अधिनियम एवं टाईगर रिजर्व हेतु निर्मित कानून प्रभावी आने से पूर्व अर्सा कदीम से अपने-अपने ओसरे के अनुसार पूजा करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2024 वस्तुस्थिति एवं कानून के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विवादित स्थान अपीलांट के कब्जे में हैं, ऐसी स्थिति में धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाये जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि इन्द्रगढ़ के झीडा गांव में बिजासन माताजी का करीब 3000 वर्ष पूर्व पहाड़ी पर मन्दिर स्थित है, जो आस-पास के लोगों के लिए प्रमुख आस्था का स्थान है। चूंकि माताजी की तत्समय मूर्ति स्थापना के बाद उनकी सेवा पूजा करने का काम मूल पुरुष महन्त के बाद परम्परा के अनुसार परिवारजन करते चले आ रहे हैं और मूल महन्त के परिवारजन ही अपीलार्थी है, इस प्रकार अपीलार्थी विवादित स्थान पर काबिज है, जिन्हें किसी भी रूप से कानून सम्मत मान्यता के अनुसार अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पुजारी का समस्त परिवार वहीं निवास करता चला आ रहा है तथा उक्त स्थान पर अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नियमों विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करते हुए प्रस्तुत रिपोर्ट को ही आधार मानकर अतिक्रमी मान लिया गया है, जो न्यायोति एवं विधिविरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।


रजनीश आरुखा
कोष सहाय, कोटा

5. रेस्पॉ0 अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग की है तथा अपीलार्थी के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा यह तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये की प्रश्नगत आराजी पर कब से निर्माण कर काबिज है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा वन विभाग की भूमि पर बाद में दुकाने भी बना ली गयी, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त आराजी वन विभाग की होने से नियमन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा वन्य जीवन भी प्रभावित होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074-2077 प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अतिक्रमित आराजी विज्ञप्ति वन विभाग एफ6(329) रा.क.60 दिनांक 26.10.1960 के अन्तर्गत "आरक्षित वन घोषित" होने से तदनुसार पुराना खसरा सं 223 (नया खसरा सं0 426) 24 मीटर × 12 मीटर (288 वर्गमीटर) पर पक्का मकान व बाउण्ड्री बनाकर अतिचार करने पर निर्णय दिनांक 28.06.2022 से बेदखल करते हुए 2880/- शास्ति आरोपित की गई है, जो उचित प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा भी वन विभाग की भूमि पर निवास बनाकर अतिक्रमण करने से निर्णय दिनांक 16.07.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा